553/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 11620 /28/76/एक/2018–19 दिनांक 08 मार्च 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–**बलिया।**

विषय : **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बन्धन बैंक	50180019558083	IFSC Code BDBL0001285	**136.177**

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	बलिया	मु0अ0–37	न0पा0प0 बलिया	शीश महल के आगे आरा मशीन से मुन्ना पटेल के घर तक होते हुए मेन रोड तक पेवर्स एवं नाली निर्माण कार्य।	14.235	50%
2	बलिया	मु0अ0–37	न0पा0प0 बलिया	राजेश पहलवान के घर से काशी गौड़ के घर होते हुए सोहन जी के घर पूर्व सभासद लक्ष्मी वर्मा के घर तक पेवर्स एवं नाली निर्माण कार्य।	21.033	50%
3	बलिया	मु0अ0–37	न0पा0प0 बलिया	वार्ड नं0 01 में अवधेश मिश्रा के मकान से शहीद बाबा के मजार तक पेवर्स एवं नाली निर्माण कार्य।	7.589	50%
4	बलिया	मु0अ0–37	न0पा0प0 बलिया	आवास विकास में डा0 अरविन्द सिंह के घर से सुनील सिंह के घर तक पेवर्स का कार्य।	6.250	50%
5	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बैरिया	पूर्व ब्लाक प्रमुख के घर से डॉ0 अजीत के घर होते हुए रामनाथ के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	3.390	50%
6	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बैरिया	वार्ड नं0 14 में शिवशंकर पाल के घर से जीउत वर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.440	50%
7	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बैरिया	जीउत वर्मा के घर से राजकुमार के खेत तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	11.157	50%
8	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बैरिया	मिर्जापुर पूरब टोला में कुबेर वर्मा/प्रभु वर्मा के मकान से प्राथमिक तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.114	50%

553/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
9	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बैरिया	अनिल पाण्डेय के दुकान से मुंजी बाबा के कुटी होते हुए मुंकेश सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	0.360	50%
10	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बैरिया	गब्बर के मकान से अशोक वर्मा के आईस फैक्ट्री तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.133	50%
11	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बैरिया	छितेश्वर गुप्ता के घर से मुन्ना गोंड के घर होते हुए बच्चा सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	2.002	50%
12	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड न0 01 में सुहेल के मकान से मोहन सर्राफ के दुकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	4.564	50%
13	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 03 में वीर होम्योपैथिक दुकान से मुमताज के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	2.869	50%
14	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 06 में प्रदीप जायसवाल मेन रोड के मकान से सागर के मकान होते हुए दीनानाथ और सुरेन्द्र गुप्ता के प्लाट होते संजय मास्टर के मकान तक इण्टरलाकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	6.157	50%
15	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 06 में कमलेश के मकान से बिठुआ नहर तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	2.945	50%
16	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 06 में दिनेश के मकान से मुन्ना मिठाई के मकान तक मिट्टी इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	3.052	50%
17	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 06 में ईदगाह से अशोक टुन्नू के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	3.052	50%
18	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 06 में ओमप्रकाश के मकान से अशोक के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	2.002	50%
19	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 06 में सुनील के प्लाट से अंचल के मकान तक मिट्टी इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	2.295	50%
20	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 06 में रितेश के मकान से बिठुआ प्राईमरी स्कूल होते हुए सुभाष हरिजन के प्लाट होते हुए मिट्टी इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	3.652	50%
21	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 13 में मनोज के घर से सूर्यनाथ सिंह के मकान से तक मिट्टी इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	2.949	50%
22	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 13 में महेन्द्र मौर्य के घरसे जायसवाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	3.354	50%

553/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 13 में गुलाब चन्द्र गुप्ता के मकान से सन्तोष कुमार यादव के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	3.964	50%
	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 13 में श्रीकान्त के मकान से अनिल गुप्ता के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	1.081	50%
	बलिया	मु0अ0–37	न0पं0 बेल्थरा रोड	वार्ड नं0 13 में रफीक के प्लाट से आफताब के मकान तक इण्टरलॉकिंग नाली कवर सहित निर्माण कार्य।	1.538	50%
	योग				**136.177**	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेः–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

(553/4)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक